IJAER/July-August 2024/Volume-13/Issue-4 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Impact Factor:7.06

बाल विवाह के सामाजिक संदर्भ का विश्लेषण

मनीराम मीना
रिसर्च स्कॉलर
यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर

डॉ आलोक कुमार
प्रोफेसर
यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER /ARTICLE, HERE BY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BELEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT/OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE/UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION. FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BELEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE)

सारः बच्चों को उनके अधिकारों और बाल विवाह के नकारात्मक परिणामी के बारे में जागरूक करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो बच्चों से संबंधित निर्णयों में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करके और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरुक करके उन्हें सशक्त बनाकर किया जाना चाहिए। अपनी चिन्ताओं को व्यक्त करने और अपने अधिकारों पर असर डालने वाले निर्णयों में भाग लेने में सक्षम होने के लिए बच्चों का सशक्तिकरण भी इस प्रथा को रोकने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। कानून को काम करने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों का संवेदीकरण और क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है। गाँव, तालुका, जिला और राज्य स्तर पर सभीक्षा और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करना भी आवश्यक है। शैक्षिक अवसरों और व्यावसायिक प्रशिक्षण के संदर्भ में किशोरों, विशेषकर लड़कियों को विकल्प प्रदान करना वास्तव में बाल विवाह की प्रथा को रोकने में मदद कर सकता है।

कीवर्ड: बाल विवाह, सामाजिक संदर्भ, जागरूक

1 परिचयः

बाल विवाह से तात्पर्य उस प्रथा से है जिसमे एक छोटे बच्चे, आमतौर पर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह एक वयस्क पुरुष या लड़के से किया जाता है। बाल विवाह एक वैश्विक समस्या है। यह पूरे भारत में फैला हुआ है। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार बाल विवाह न केवल मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है, बल्कि विकासात्मक लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को भी कमजोर करता है। बाल विवाह लैंगिक असमानता का एक लक्षण और योगदानकर्ता दोनों है। अध्ययन बाल विवाह की घटनाओं और खराब स्वास्थ्य संकेतकों के बीच स्पष्ट संबंध प्रदर्शित करते हैं, जो अक्सर जल्दी बच्चे पैदा करने के कारण होता है जो मातृ मृत्यु दर और रुग्णता के उच्च स्तर में योगदान देता है। बाल विवाह भी सीधे तौर पर लड़कियों के लिए कम शिक्षा प्राप्त करने, उनके रोजगार के अवसरों, आर्थिक सुरक्षा और समाज की उत्पादक क्षमता को सीमित करने से जुड़ा हुआ है। बाल विवाह लड़कियों और युवा महिलाओं के स्वास्थ्य और विकास के अधिकारों का व्यापक रूप से उपेक्षित उल्लंघन है। सरकारें अक्सर या तो मौजूदा कानूनों को लागू करने में असमर्थ होती है, या शादी की उम्र पर राष्ट्रीय कानूनों और स्थापित प्रथागत और धार्मिक कानूनों के बीच विसंगतियों को दूर करती हैं। यह सास्कृतिक, सामाजिक और प्रथागत मानदंडों की आधिकारिक सहिष्णुता के कारण है जो विवाह और पारिवारिक जीवन की संस्था को आकार देते हैं और नियंत्रित करते हैं [1]।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक 'बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के मनुष्य के रूप में परिभाषित किया गया है और यह एक बच्चे की सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा है, जिसे बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा स्वीकार किया गया है। भारत में, विभिन्न आयु समूहों को अस्पष्टता पैदा करने वाली विभिन्न अवधारणाओं में परिभाषित किया गया है [2]।

1.1 बाल विवाह का अर्थ और अवधारणा

चूंकि दो शब्द बल्कि विरोधाभासी हैं, "बाल विवाह" वाक्यांश को इसके सही संदर्भ में माना जाना चाहिए। विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच एक कानूनी रूप से औपचारिक साझेदारी है जिसमें अंतरंग गतिविधियों को वैध ठहराया जाता है। जाहिर है, इस तरह की साझेदारी की उम्मीद केवल दो सहमति देने वाले वयस्कों के बीच ही की जा सकती है। एक लड़की विवाह की भागीदार कैसे बनेगी यदि वह अस्तित्व और परिणामों को समझने में असमर्थ है? ऐसी शादी से आने वाली अपेक्षाओं को वह कैसे पूरा करेगी यदि वह उनसे अनभिज्ञ है? इसलिए, बाल विवाह की विभिन्न विचारकों और न्यायविदों द्वारा आलोचना की जाती है और इसे कानूनी रूप से गलत माना जाता है। [3]

i. अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार परिभाषा

बाल विवाह के बारे में अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसे 2016 में यूनिसेफ के रूप में संक्षिप्त किया गया था, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संक्षिप्त रूप से यूएनएफपीए द्वारा उत्पन्न किया गया था। यूनिसेफ परिभाषित करता है, 'बाल विवाह 18 वर्ष से कम आयु के उस बच्चे और एक वयस्क और दूसरे बच्चे के बीच किसी भी औपचारिक विवाह या अनौपचारिक मिलन की संदर्भित करता है। बाल विवाह को 18 वर्ष की आयु से पहले एक लड़की या लड़के के विवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है और औपचारिक विवाह और अनौपचारिक संघो दोनों को संदर्भित करता है जिसमे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एक साथी के साथ रहते हैं जैसे कि विवाहित बाल विवाह लड़कियों और लड़कों दोनों की प्रभावित करता है, लेकिन यह लड़कियों को असमान रूप से प्रभावित करता है, खासकर दक्षिण एशिया में। यह एक सार्वभौमिक परिघटना है, जहाँ कम उम्र में ही उन्होंने विवाह की सामाजिक संस्था में प्रवेश कर लिया। [4]

ii. भारतीय कानूनी प्रणाली के अनुसार परिभाषा

भारतीय कानूनी प्रणाली के अनुसार परिभाषा को विभिन्न विधियों के तहत उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण करके ही समझा जा सकता है। बाल विवाह अधिनियम, 2006 का निषेध बाल विवाह को इस प्रकार परिभाषित करता है जिसका अर्थ है ऐसा विवाह जिससे अनुबंध करने वाली पार्टियों में से कोई एक बच्चा है। [5]

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, बाल विवाह की परिभाषा बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत प्रदान की गई है और यहां इसका फिर से उल्लेख करना उचित है क्योंकि बाल विवाह की अवधारणा को बाल के अर्थ का विश्लेषण करके समझा जा सकता है। बच्चे का अर्थ है वह व्यक्ति, जिसने यदि पुरुष ने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि महिला ने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। इसलिए, बाल विवाह को एक विवाह के रूप में जाना जाता है जिसमें उपरोक्त प्रावधान के अनुसार विवाह के लिए कोई एक या दोनों पक्ष बच्चे की परिभाषा के दायरे में आते हैं।"

1.2 बाल विवाह का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

बाल विवाह की उत्पत्ति एक विवादास्पद विषय है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट और अन्य विद्वानों का दावा है कि भारत में बाल विवाह की उत्पति 1,000 साल पहले शुरू हुए मुस्लिम आक्रमणों से हुई थी। आक्रमणकारियों ने अविवाहित हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किया या उन्हें लूट के रूप में ले गए, हिंदू समुदायों को उनकी रक्षा के लिए अपनी बेटियों की शादी जल्दी करने के लिए प्रेरित किया। अन्य लोगों का सुझाव है कि 19वीं सदी से पहले दुनिया भर में बाल विवाह आम बात थी। बाल विवाह के कारण अनेक हैं। बाल विवाह की पारंपरिक, धार्मिक और सामाजिक स्वीकृति इसके प्रचलन का एक प्रमुख कारण है। [6]

विवाह सभी समाजों में एक बुनियादी संस्था है जो एक और गलत और अनैतिक कार्यों से समाज की रक्षा के लिए विकसित हुई है और दूसरी ओर स्वयं समाज की श्रृंखला की निरंतरता के लिए। भारत में बाल विवाह के विकास का पता लगाने के लिए हमें विभिन्न धर्मरिवाजों-आधारित रीति, रीतिरिवाजों, परंपराओं आदि पर विचार करना होगा। इक्कीसवी सदी में भारत को बहुभाषाई बहुधार्मिक समाज माना जाता है जिसमें विभिन्न विविधताएँ - निहित हैं। बाल विवाह की जड़ों को समझने के लिए, विभिन्न धमों के विकास का अध्ययन करना उचित है जो आजकल भारत के क्षेत्र में प्रचलित हैं।

1.3 बाल विवाह एक सामाजिक बुराई

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की परिभाषा के अनुसार, बाल विवाह वह विवाह है जिससे अनुबंध करने वाले पक्षों में से कोई एक बच्चा है।

संक्षेप में बाल विवाह एक घोर मानवाधिकार उल्लंघन है। पितृसता और लैंगिक असमानता में इसकी जड़ें मजबूत हैं। ये विवाह लड़कियों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जो कम उम्र में एक पूर्ण गृहस्थी और प्रारंभिक गभर्भावस्था को संभालने के लिए फैक दी जाती हैं, जबकि वास्तव में, उन्हें स्कूलों में होना चाहिए और अन्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यद्यपि इस प्रकार की शादी लड़कियों और लड़कों दोनों को प्रभावित करती है, तथापि, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि लड़की अधिक वंचित स्थिति में है। [7]

2. साहित्य की समीक्षा

जशोधरा और गुप्ता, एस (2005) बाल विवाह व्यस्क होने से पहले व्यक्तियों का विवाह है। भारतीय कानून शादी के उद्देश्य से लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष को वयस्कता की उम्र के रूप में मान्यता देता है। न्यूनतम वैध आयु से पहले कोई भी विवाह बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह का अर्थ है एक ऐसा विवाह जिसके अनुबंध करने वाले पार्टी में से कोई एक बच्चा है, बाल विवाह पूर्व यौवन विवाह है, जहाँ बच्चे होंगे और वे सबसे अधिक अपरिपक्व हुआ करते हैं। इन विवाहों को समाज के रीति रिवाजों द्वारा निर्धारित और राज्य के कानून द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त माता-पिता द्वारा आयोजित बच्चों के विवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।" [8]

बनर्जी, सरबानी (2016)- ये किशोर शारीरिक रूप से पूरी तरह से विकसित होने से पहले गर्भावस्था और मातृत्व का अनुभव करते हैं, और गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान विशेष रूप से तीव स्वास्थ्य जोखिमों के संपर्क में आते हैं, जैसे कि इससे उत्पन्न जटिलताएं, विकासशील देशों में युवा महिलाओं में गर्भपात संक्रमण, बांझपन और मृत्यु दर में योगदान देता है, मुख्य रूप से क्योंकि चिकित्सा सेवाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, खासकर किशोरों के लिए। जबकि

सभी उम्र के लोग एसटीडी से प्रभावित हो सकते हैं, विशेष रूप से युवा महिलाएं एसटीडी संचरण के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। [9]

रमेश के. (2019)- यह आमतौर पर किशोर लड़कियों के शैक्षिक अवसरों को छीन लेता है। नतीजतन, यह रोजगार और आय सृजन के उनके अवसरों को सीमित करता है, जीवन भर निर्भरता के बीजों को खट्टा करता है। इसने उनके व्यक्तित्व विकास के अवसरों को भी छीन लिया क्योंकि उन्हें बाहरी दुनिया से शायद ही कोई संपर्क मिलता है। इस प्रकार यह उनके करियर विकल्पों को सीमित करता है। शिक्षा की परिणामी कमी महिलाओं की सूचित विकल्प बनाने की क्षमता को सीमित करती है। विकास की दृष्टि से बाल विवाह महिलाओं को परिवार, समुदाय और समाज के जीवन में पूरी तरह से भाग लेने से रोकता है। ऊर्जा, जिसे सामाजिक भलाई और विकास के लिए निर्देशित किया जा सकता है, पर अंकुश लगाया जाता है। [10]

बशीर, के.पी. (2020)- यह भी देखा गया है कि किशोर पत्नियों को अपने घरों में कम स्वायतता और निर्णय लेने का अधिकार होता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त स्वास्थ्य और हिंसा सहित अन्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि कम उम्र में बच्चे पैदा करना भी कम आय वाली महिलाओं की गरीबी को बढ़ाता है। गरीब माताएं अन्य माताओं की तुलना में अधिक काम करती हैं और कम कमाती हैं, और उनके बच्चों का जन्म समय सीधे उनके पोषण की स्थिति से संबंधित होता है। इस प्रकार बाल विवाह महिलाओं को सहायक सामाजिक वातावरण से वंचित करता है; यह उनकी निर्णय लेने की भूमिका, उनकी शिक्षा, करियर और आय अर्जित करने के विकल्पों को सीमित करता है। [11]

बशीर, के.पी.एम. (2015) विचार के विद्यालयों में से एक का तर्क है कि बाल विवाह की प्रथा मध्यकालीन युग के दौरान उत्पन्न हुई और इसकी जड़े मजबूत हुई। आक्रमण, युद्ध और क्षेत्र के विस्तार ने उस समय के रुझानी को पीछे छोड़ दिया। नए नियमों द्वारा स्थापित संरचनाओं और प्रथाओं को परेशान किया जा रहा था जो अपने स्वयं के विचारों और नियर्मा को लेकर आए थे कानून और व्यवस्था अभी तक एक सार्वभौमिक घटना नहीं थी और मनमानी शक्तियां कुछ हाथी में केंद्रित थी। महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती चली गई, क्योंकि उनका उपहार, उपपत्नी और गुलाम के रूप में आदान प्रदान किया जा रहा - धीरे महिलाओं की स्थिति में गिरावट का कारण बना था। इसने धीरे, जिसके परिणामस्वरूप घूंघट पहनने और महिलाओं को बाकी समाज से अलग करने जैसी प्रथाएं शुरू हुई। [12]

3. कार्यप्रणाली

अनुसंधान पद्धति को अनुसंधान समस्या की सरचना या समाधान के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के तरीकों के अनुसंधान विनिर्देश का जीवन कहा जाता है। यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक डेटा स्रोतों पर आधारित गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों का मिश्रण था, जिसमें डेटा संग्रह के लिए आमने सामने साक्षात्कार पद्धति का उपयोग किया गया था, जिसमें बाल विवाह और व्यक्तियों और समाज पर उनके प्रभावी और जिम्मेदारियों और समस्याओं का

मूल्यांकन करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए थे। परिवार के सदस्यों के सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पहलू, घर के काम के बोझ से संबंधित भूमिका संघर्ष, कम उम्र में शादी करने वाले लोगों की समस्याएं और इसका प्रभाव, बच्चों और वर्तमान प्रवृतियों के साथ पारिवारिक जीवन। यह शोध परिवारों के साथ-साथ समाज में - बाल विवाह की पहचान की अवधारणा की खोज के वैज्ञानिक तरीके को अपनाता है। इस प्रकार बाल विवाह के निर्धारकों की पहचान करना और समाज में परिवारों और व्यक्तियों पर और उनके निजी जीवन में उनके प्रभाव की पहचान करना।

4. परिणाम

बाल विवाह भारतीय समाज की ज्वलंत समस्याओं में से एक है। भारत में, महिलाओं के लिए विवाह के लिए कानूनी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष की वकालत करने वाले संशोधित कानूनी के बावजूद, पर्याप्त अनुपात यानी 15-19 वर्ष के आयु वर्ग में हर तीसरी किशोर लड़की की शादी हो चुकी है और हर दूसरी विवाहित किशोरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) की रिपोर्ट (2001) के अनुसार, भारत (24.9%) की तुलना में राजस्थान में अब तक की सबसे अधिक (40.8) महिलाओं की शादी 15-19 वर्ष की लड़कियों में हुई है, इसके बाद बिहार (39.6%), मध्य प्रदेश का स्थान है। (34.1%), झारखड (32.9%) और आंध प्रदेश (32.3%)। राजस्थान के विभिन्न जिलों में भीलवाड़ा 61.9 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर है। भारत में बाल विवाह की प्रथा सदियों से चली आ रही है, जिसमें बच्चों की शादी उनकी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से पहले कर दी जाती है। भारत में बाल विवाह की समस्या धार्मिक परंपराओं, सामाजिक प्रथाओं, आर्थिक कारको और गहरी जड़े वाले पूर्वाग्रहों के एक जटिल मैट्रिक्स में निहित है। इसकी जड़ों के बावजूद, बाल विवाह मानवाधिकारी का घोर उल्लंघन है, जो जीवन के लिए शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक निशान छोड़ जाता है। शादी के तुरंत बाद यौन गतिविधि शुरू हो जाती है, और गर्भावस्था और कम उम्र में बच्चे के जन्म से मातृ और शिशु मृत्यु दर हो सकती है। इसके अलावा, जो महिलाएं कम उम्र में शादी करती हैं, उनके घर में घरेलू हिंसा का शिकार होने की संभावना अधिक होती है।

तालिका 4.1: कम उम्र में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार आर्थिक कारकों द्वारा उत्तरदाताओं का प्रतिशत वितरण

बाल विवाह के आर्थिक कारक	आवृति	प्रतिशत
गरीबी	**89**	**24.9**
कम व्यक्तिगत आय	86	24.0
परिवार की कम आय	100	27.9

दहेज प्रथा का उच्च प्रचलन	83	23.2
कुल	**358**	**100.0**

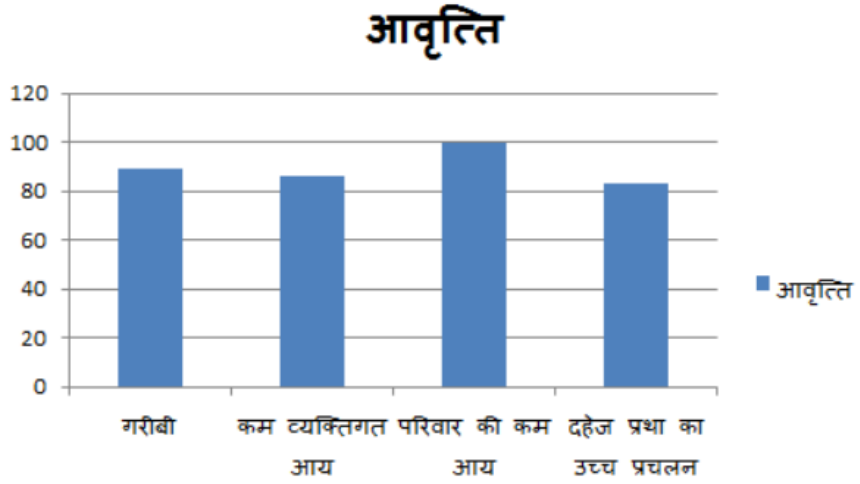

चित्र 4.1: कम उम्र में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार आर्थिक कारकों द्वारा उत्तरदाताओं का प्रतिशत वितरण

उपरोक्त डेटा तालिका और ग्राफ इंगित करता है कि, बाल विवाह पर आर्थिक कारकों पर उत्तरदाताओं की राय। उनमें से अधिकतम उत्तरदाताओं (27.9%) ने कहा है कि, कम पारिवारिक आय बाल विवाह का मुख्य कारण है, इसके बाद 24.9% उत्तरदाताओं ने कहा है कि गरीबी जल्दी विवाह का मुख्य कारण है, लगभग समान प्रतिशत (24.0%) उतरदाताओ का कहना है कि कम व्यक्तिगत आय बाल विवाह का मुख्य कारण है, और उत्तरदाताओं का अच्छा प्रतिशत (23.2%) बताता है कि, दहेज का उच्च प्रचलन भारतीय समाज में कम उम में बालिकाओं का कारण हो सकता है।

वर्तमान में एक बात तो मानी जा सकती है कि भारतीय समाज में आर्थिक स्थिति का सीधा प्रभाव बाल विवाह पर पड़ता है। अधिकांश परिवार दैनिक जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और दहेज भी भारतीय समाज में बाल विवाह का एक कारक है।

तालिका 4.2: प्रारंभिक बाल विवाह के लिए जिम्मेदार शैक्षिक कारकों द्वारा उत्तरदाताओं का प्रतिशत वितरण

बाल विवाह के शैक्षिक कारक	आवृति	प्रतिशत
मातृ साक्षरता का निम्न स्तर	**209**	**58.4**
पिता साक्षरता का निम्न स्तर	26	7.3

माता-पिता साक्षरता का निम्न स्तर	57	15.9
उच्च शिक्षा में रुचि का अभाव	66	18.4
कुल	**358**	**100.0**

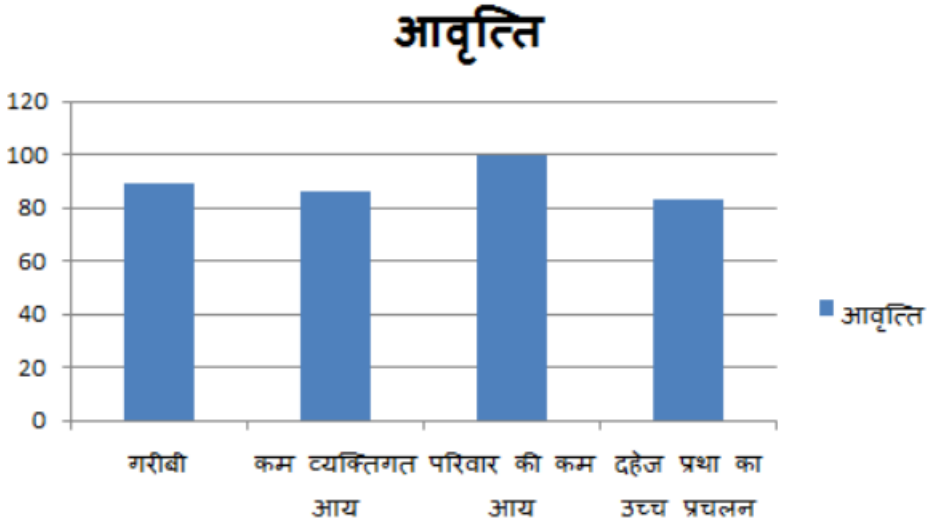

चित्र 4.2: प्रारंभिक बाल विवाह के लिए जिम्मेदार शैक्षिक कारकों द्वारा उत्तरदाताओं का प्रतिशत वितरण

उपरोक्त डेटा तालिका और ग्राफ इंगित करता है कि बाल विवाह पर शैक्षिक कारकों के प्रभाव पर उत्तरदाताओं की राय। उनमें से अधिकतम उत्तरदाताओं (58.4%) ने बताया कि मात् साक्षरता का निम्न स्तर बाल विवाह का मुख्य कारण है, इसके बाद 18.4% उत्तरदाताओं ने कहा है कि उच्च अध्ययन में रुचि की कमी जल्दी विवाह का मुख्य कारण है। उत्तरदाताओं का लगभग बराबर प्रतिशत (15.9%) बताया गया है कि मातापिता की साक्षरता का निम्न स्तर बाल विवाह का मुख्य कारण है, और उत्तरदाताओं का निम्न प्रतिशत (7.3%) बताता है कि पिता साक्षरता का उच्च निम्न स्तर बाल विवाह का कारण हो सकता है।

महसूस किया कि, आर्थिक कारण बाल विवाह का प्रमुख कारक है, और लगभग 16.2% ने कहा कि धार्मिक कारण बाल विवाह के निर्धारक कारक है।

4.1 चौस्कायर परीक्षण के साथ द्विधर विश्लेषण

तालिका 4.3: विवाह के समय आयु के अनुसार भारत में बाल विवाह प्रथा के निर्धारकों पर उत्तरदाताओं की टिप्पणियों का प्रतिशत वितरण

उत्तरदाताओं की विवाह के समय आयु		आर्थिक कारण	सामाजिक कारण	धार्मिक कारण	कुल
10-13	गणना	28	35	8	7
	प्रतिशत	39.4%	49.3%	11.3%	100.0%
14-17	गणना	131	103	53	287
	प्रतिशत	45.6%	35.9%	18.5%	100.0%
कुल	गणना	159	138	61	358
	प्रतिशत	44.4%	38.5%	17.1%	100.0%

x^2 =0.087

उपर्युक्त डेटा टेबल में आयु के संबंध में उत्तरदाताओं के बाल विवाह के निर्धारक आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण शामिल है। अध्ययन क्षेत्र के (358) उत्तरदाताओं में से 10-13 वर्ष की आयु के उत्तरदाताओं की संख्या क्रमशः 71 थी। तीन उत्तरदाताओं में उत्तरदाताओं का उच्च प्रतिशत (49.3%) बताया गया कि, सामाजिक कारण, 39.4% ने 699 महसूस किया कि आर्थिक कारण बाल विवाह के लिए प्रमुख कारक है, और लगभग 11.3% ने कहा कि धार्मिक कारण बाल विवाह के निर्धारक कारक हैं बाल विवाह।

जबकि, 14-17 वर्ष की आयु में विवाह करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या क्रमशः 287 थी। इन उत्तरदाताओं में उत्तरदाताओं का उच्च प्रतिशत (45.6%) बताया गया कि, आर्थिक कारण, 35.9% ने महसूस किया कि, सामाजिक कारण बाल विवाह का प्रमुख कारक है, और लगभग 18.5% ने कहा कि धार्मिक कारण बाल विवाह के निर्धारक कारक है बाल विवाह।

जबकि, कुल उत्तरदाताओं (358) में, उत्तरदाताओं का उच्च प्रतिशत (44.4%) बताया गया था कि, सामाजिक कारण, 38.5% के बाद यह महसूस किया गया था कि बाल विवाह के लिए आर्थिक कारण प्रमुख कारक है, और लगभग 17.1% ने कहा था कि बाल विवाह के लिए धार्मिक कारण निर्णायक कारक है।

डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय परिवारों की उम्र और बाल विवाह के कारणों और X^2 0.087 के बीच क्रमशः महत्व है।

तालिका 4.4: उत्तरदाताओं की जाति दद्वारा भारत में बाल विवाह प्रथा के निर्धारकों पर उत्तरदाताओं की टिप्पणियों का प्रतिशत वितरण

उत्तरदाताओं की जाति	आर्थिक कारण	सामाजिक कारण	धार्मिक कारण	कुल

अनुसूचित जाति	गणना	91	85	34	210
	प्रतिशत	43.3%	40.5%	16.2%	100.0%
अनुसूचित जनजाति	गणना	63	21	0	84
	प्रतिशत	75.0%	25.0%	0.0%	100.0%
अन्य पिछड़ा वर्ग	गणना	5	32	27	64
	प्रतिशत	7.8%	50.0%	42.2%	100.0%
कुल	गणना	159	138	61	358
	प्रतिशत	44.4%	38.5%	17.1%	100.0%

$x^2 = 0.000$

उपर्युक्त डेटा तालिका में उत्तरदाताओं की जाति के संबंध में उत्तरदाताओं के बाल विवाह के निर्धारक आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण शामिल हैं। अध्ययन क्षेत्र के (358) उत्तरदाताओं में से, उत्तरदाता अनुसूचित जाति के हैं, जिनकी संख्या क्रमशः 210 है। इन उत्तरदाताओं में उत्तरदाताओं का उच्च प्रतिशत (43.3%) बताया गया कि, आर्थिक कारण, इसके बाद 40.5% ने महसूस किया कि, आर्थिक कारण बाल विवाह का प्रमुख कारक है। और लगभग 16.2% ने कहा कि धार्मिक कारण बाल विवाह के निर्धारक कारक है।

5. निष्कर्षः

कई बाल विवाह रोकथाम कार्यक्रम केवल पैमानेअप की संभावनाओं का पता लगाने के लिए शुरू हो रहे हैं, लेकिन उत्साहजनक संकेत है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी में कमी जैसे अन्य लक्ष्यों के लिए बड़े पैमाने पर संरचनात्मक प्रयास बाल विवाह रोकथाम के साथ संबंध बनाने लगे हैं। ऐसे कार्यक्रमों का एक छोटा, लेकिन बढ़ता हुआ सेट अस्थायी लेकिन आशाजनक मूल्यांकन परिणाम प्रदान कर रहा है। विधायी उपायों और राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद, बाल विवाह की प्रथा अभी भी कर्नाटक में प्रचलित है। जहां एक और कानून प्रवर्तन कमजोर रहा है, वहीं जमीन पर कई समस्याएं रही हैं जैसे लोगों में जागरुकता की कमी, संवेदनशील और प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी और दूसरी ओर आगे बढ़ने में बाधाएं रही है। बच्चों को उनके अधिकारों और बाल विवाह के नकारात्मक परिणामी के बारे में जागरूक करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो बच्चों से संबंधित निर्णयों में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करके और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरुक करके उन्हें सशक्त बनाकर किया जाना चाहिए। अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और अपने अधिकारों पर असर डालने वाले निर्णयों में भाग लेने में सक्षम होने के लिए बच्चों का सशक्तिकरण भी इस प्रथा को रोकने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है।

6. संदर्भः

1. अश्विन, ए. (2015)। अवैध बलात्कारः सामाजिक कानूनी परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक विश्लेषण। इंडियन सोशल-कानूनी जर्नल, 29 (1) और 2), 73।

2. अग्रवाल, के. बी. (2016) फैमिली लॉ इन इंडिया। नीदरलैंड: क्लुवर लॉ इंटरनेशनल।
3. एजेंस फ्रास-प्रेस। (2016) 'हाफ ऑफ इंडियन वीमेन मैरिड बाड़ द ऐज ऑफ 15। पुश जर्नल। खंड 201
4. अबू-समरा, एस। (2017)। 'फैमिली लाइफ' (8-36), पोहल में, फ्लोरियन (एड।) मॉडर्न मुस्लिम सोसाइटीज। मलेशियाः मार्शल कैवैश इंटरनेशनल (एशिया) प्राइवेट लिमिटेड।
5. अब्राहम, वीनू। (2016) 'मैरिड टू डेस्पायर', द वीक, 27 जुलाई 2003।
6. एंडरसन, सीवान। (2017)। 'द इकोनॉमिक्स ऑफ दहेज एंड ब्राइडपाइस', इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स जर्नल, 21(4): 151-174।
7. एसर्नो, आर. ग्रे, एम. बेस्ट बेस्ट बेस्ट, सी. रेसनिक, (2015) 'बलात्कार और शारीरिक हिंसाः राष्ट्रीय महिला अध्ययन में वृद्ध और युवा वयस्कों में हमलों की तुलना, दुखद तनाव जर्नल, 14(4): 685-695।
8. जशोधरा। और गुप्ता, एस। (2005)। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति, 1970- 2000: आगे की चुनौती। नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन।
9. बनर्जी, सरबानी। (2016) हायर एजुकेशन एंड द रिप्रोडक्शन लाइफ कूजः ए क्रॉस कल्चरल ने वीमेन इन कर्नाटक (इंडिया) और नीदरलैंड्स का अध्ययन किया। नीदरलैंड रोजेनबर्ग प्रकाशक ।
10. रमेश के. (2019) 'अर्जी मैरिज एंड कूलैट बेयरिंग रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंस' (62-66), बॉटल, एस. जिजीबॉय, एस. और शाह, पुरी। (एड।)। वयस्कता की ओरः दक्षिण एशिया में जोड़ों के यौन और जन्म के स्वास्थ्य की खोज। जिनेवाः विश्व स्वास्थ्य संगठन।
11. बशीर, के.पी. (2020)। 'मलयाली मैरिज लेट, चाइल्ड मैरिज सर्वे। द हिंदू 26-01-2002।
12. बशीर, के.पी.एम. (2015)। 'द गल्फ वाइफ सिन्ड्रोम' (148-167), राव, मोहन (संपा.) द अनहर्ड स्क्रीमः रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड वीमेंस लाइव्स इन इंडिया। नई दिल्लीः जुबान।

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, hereby, declare that the comment of this paper as prepared by me and if any person having copyright issue or patentor anything otherwise related to the content. I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website amendments updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by the in not correct, I shall always be legally responsible With my whole responsibility legally and formally has intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and mine If any or issue related to Plagiarism Guide Name Educational Qualification/Designation/Address of my university/college/institution/Structure Formatting/ Resubmission/Submission /Copyright Patent/Submission for any higher degree or Job/Primary Data/Secondary Data Issues. I will be

solely/entirely responsible for any legal issues, website is invisible or shuffled or vanished from the data base due to some technical fault, or hacking and for the scholars/students who finds trouble my paper I take all the in getting these paper un legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Aadhan/Driving License/Any Identity Proof and Photo) in spite of demand from the publisher may not be consider for publisher then my paper may verification, I accept the fact that be rejected or removed from the website anytime and as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher is never responsible. I also declare that if publisher finds any complicating or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper maybe removed from the website of the watermark of remark actuality maybe mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal.

मनीराम मीना

डॉ आलोक कुमार